

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261431
SG-DL-E-03032025-261431असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 430
No. 78]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946	[N. C. T. D. No. 430

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

फा10 सं0 1/4/2024/गृ0पु0-I/स्था0/464 से 472.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना एसओ संख्या 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा निम्नलिखित नियम को अधिसूचित करते हैं:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ—

- (i) इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (गिरफ्तारी सूचना) नियमावली, 2025' कहा जाए।
- (ii) ये नियम सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होंगे।
- (iii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "इलेक्ट्रॉनिक संचार" का अभिप्राय संहिता की धारा 2(i) में यथा परिभाषित टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य वायरलेस संचार उपकरण या कंप्यूटर, या ऑडियो-वीडियो प्लेयर या कैमरा या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक रूप सहित किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से प्रेषित या स्थानांतरित (चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या एक उपकरण से दूसरे उपकरण को या एक व्यक्ति से उपकरण को या एक उपकरण से दूसरे व्यक्ति को) किसी भी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक जानकारी या वीडियो सामग्री के संचार से है।
- (ख) "सूचना का माध्यम" का अभिप्राय रिश्तेदारों, मित्रों या ऐसे अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तारी के संबंध में सूचना देने के माध्यम से है, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ऐप (व्हाट्सएप सहित), एसएमएस, लैंडलाइन फोन, ईमेल के साथ-साथ भौतिक माध्यम से बताया या नामित किया जा सकता है;
- (ग) "पुलिस स्टेशन" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थान से है;
- (घ) "संहिता" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम 46) से है;
- (ङ) "राज्य सरकार" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत नियुक्त प्रशासक से है और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया है।
- (2) अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो बीएनएसएस में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।
3. "संहिता" के अन्तर्गत कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में तत्काल जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है, उसके किसी रिश्तेदार, मित्र या ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजनार्थ प्रकट या नामित किया गया है तथा जिले के निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को भी सूचना देगा।
4. प्रत्येक पुलिस स्टेशन गिरफ्तार व्यक्ति (व्यक्तियों) के संबंध में विवरणों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा तथा अनुसूची-1 में दिए गए के अनुसार इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई है।
5. न्यायालय की शक्तियों की व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दी गई न्यायालय की शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह-I)

अनुसूची-I
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 48(3))
(नियम-4 देखें)

गिरफ्तार व्यक्तियों के रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली सूचना											
क्र. सं.	एफआईआर/डीडी संख्या, यू/एस, दिनांक और समय	गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम, पता और दूरभाष संख्या	गिरफ्तारी करने वाले / हिरासत में लेने वाले अधिकारी	गिरफ्तारी की तिथि एवं समय	गिरफ्तारी का स्थान	जिसे सूचना दी गई उसका नाम,	गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार / मित्र आदि को दी गई	क्या निरीक्षण जापन तैयार किया गया है	क्या डोजियर खोज पची तैयार की गई	क्या अभियुक्त का दिया गया पता सही	पते को सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम

			का नाम एवं रैंक			पता और टेलीफोन नम्बर तथा गिरफ्तार व्यक्ति से उसका संबंध	सूचना की तिथि, समय और माध्यम	या नहीं है	पाया गया है या नहीं	एवं रैंक

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th February, 2025

F. No. 1/4/2024/HP-I/Estt./464 to 472.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 48 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023), read with Notification bearing S.O. No. 2506(E), dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is pleased to notify the following rules:-

1. Short title and commencement—

- (i) These rules may be called as ‘Delhi BNSS (Arrest Information) Rules, 2025’.
- (ii) These rules shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (iii) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions- (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) **“Electronic Communication”** means the communication of any written, verbal, pictorial information or video content transmitted or transferred (whether from one person to another or from one device to another or from a person to a device or from a device to a person) by means of an electronic device including telephone, mobile phone, or other wireless communication device, or a computer, or audio-video player or camera or any other electronic device or electronic form, as defined in section 2(i) of the Sanhita;
 - (b) **Mode of Information:** means the mode of intimation regarding arrest to relatives, friend or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person given through electronic mode i.e. mobile phone, social media apps (including whatsapp), sms, Landline phone, email as well as physical mode.
 - (c) **Police Station-** means the place as defined under clause (u) of Sub-Section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
 - (d) **“Sanhita”** means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act 46 of 2023).
 - (e) **“State Government”** means the administrator appointed under article 239 of Constitution for National Capital Territory of Delhi and designated as Lieutenant Governor by the President.
- (2) All other words and expressions shall have the same meaning as assigned to them in the BNSS.

3. Every Police Officer or other person making any arrest under “Sanhita”, shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information and also to the designated police officer in the district.
4. Every Police Station shall maintain a register for entering the details in respect of arrested person(s) and an entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person as given at **Schedule-I**.
5. **Saving of the powers of the Court:** Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Court as given in the Sanhita or any other law for the time being in force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
RAJIV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home-I)

Schedule-I

(Section 48(3) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)

(Refer Rule-4)

Information to be entered in the Arrested Persons Register											
Sl. No.	FIR/DD No, U/S, Date & Time	Name Address and Phone No. of Person arrested/ Detained	Name & Rank of officer making arrest/ detention	Date & Time of Arrest.	Place of Arrest.	Name, Address & Tel No. to whom information given and relation with the arrested person.	Date, Time and mode of information given to the relative/friend etc of the arrested person.	Whether Inspection Memo prepared or not.	Whether Dossier search slip prepared.	Whether given address of the accused found correct or not.	Name & Rank of address verifying officer.